

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1792/2008/जयपुर
2. अपील संख्या 1793/2008/जयपुर

मैसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज लि०,
बी-13, सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर।
बनाम्

.....अपीलार्थी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया, अभिभाषक ।
श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.
निर्णय दिनांक : 09.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 91-92/अपील्स-II/आरएसटी/जयपुर/बी/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.06.2007 के जरिये निम्नांकित तालिकानुसार आरोपित की गई मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखते हुए दोनों अपीलें अस्वीकार की, जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है एवं आरोपित मांग राशियों को निम्नांकित तालिकानुसार विवादित किया है :-

अ.सं.	कर नि. वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	कुल विवादित राशि
1792/08	2006-07	44,957	3597	89,914	1,38,468
1793/08	2007-08(प्रथम तिमाही)	7315	73	14,630	22,018

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 01.06.2007 को किया गया। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में पेंट की बिक्री की जाकर इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर चुकाया गया है किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा पेंट की बिक्री को 12.5 प्रतिशत कर दर से कर योग्य होना मानकर उक्त बिक्री पर 8.5 प्रतिशत की दर से अंतर कर तथा आरोपित कर अदत्त रहने के कारण अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज एवं जानबूझकर कर का अपवंचन किये जाने पर धारा 61 के तहत शास्तियां आरोपित की गयी। उक्त आदेशों से

लगातार.....2

व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी पर आरोपित मांग राशियों को यथावत रखकर दोनों अपीलों अस्वीकार की, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलों अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में एक्रेलिक और प्लास्टिक एमल्सन पेन्ट्स की बिक्री की गयी है जो कि राजस्थान वेट अधिनियम, 2003 के शिड्यूल iv के पार्ट B की प्रविष्टि संख्या 208 में उल्लेखित वस्तु होने के कारण 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। सशक्त अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में की गयी कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर है। अपीलार्थी द्वारा सभी समस्त जानकारी तिमाही रिटर्न द्वारा नियमित वृत्त के सशक्त अधिकारी को उपलब्ध करवायी गयी है, किन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आरोपित शास्तियां अविधिक एवं अनुचित है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा इस विवादित वस्तु की बिक्री के समस्त संव्यवहारों का जमा खर्च लेखा पुस्तकों में किया हुआ है। इस प्रकार से जमा खर्च किये जाने के पीछे उनकी सद्भावना रही है, करापवंचन किये जाने का अपीलार्थी का कोई दुराश्य नहीं था। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित दोनों आदेश दिनांक 20.02.2008 को अपास्त करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों स्वीकार करने का निवेदन किया।

10. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया एवं निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय किया गया पेंट शिड्यूल v के क्रम संख्या 1 के सम्मुख उल्लेखित वस्तुओं की श्रेणी में होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य अभिनिर्धारित किया गया है। सशक्त अधिकारी ने पेंट को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना मानते हुए अन्तर कर राशि 8.5 प्रतिशत की दर से विधिसम्मत आरोपित की है एवं अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज तथा धारा 61 के तहत शास्ति भी उचित आधार पर आरोपित की है। अतः उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

11. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 (01.04.2007 से 31.05.2007) में पेंट्स की बिक्री की गयी है तथा इस बिक्री पर अपीलार्थी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर चुकाया है, सशक्त अधिकारी द्वारा पेंट्स को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना माना जाकर अंतर कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में की गयी समस्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अविधिक है। विद्वान अभिभाषक द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में लिए गये आधार को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता, यदि किसी व्यवसाई द्वारा अधिसूचित कर दर के अनुसार कर का संदाय नहीं किया जाता है, तो प्रतिकरापवंचन के अधिकारियों द्वारा प्रकरण में लिया गया क्षेत्राधिकार विधिसम्मत है। इस संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश के पेज संख्या 3 पर क्षेत्राधिकार के संबंध में विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है जो इस प्रकार है :-

“विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होने का कथन तर्क संगत नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यवहारी अधिसूचित कर दर से कम कर दर से कर राजकोष में जमा कराता है तो यह भी करापवंचन का कृत्य है जिस पर कार्यवाही करने के लिए प्रतिकरापवंचन वृत्त को स्वाभाविक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने मैसर्स राठी सिन्थेटिक एण्ड सिल्क मिस लिमिटेड बनाम वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन निर्णय दिनांक 05.11.12 में व्यवस्था दी है कि प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारी सर्वे में यह पाये जाने पर कि कर योग्य माल पर कर का भुगतान नहीं किया गया है क्षेत्राधिकार रखते हैं एवं इस हेतु की गयी कार्यवाही विधिसम्मत है।”

सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा विक्रय किये गये पेंट को 12.5 प्रतिशत कर दर से कर योग्य होना माना है, अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि उसके द्वारा विक्रय किया गया पेंट्स अधिनियम के शिड्यूल iv के पार्ट “बी” की प्रविष्टि संख्या 208 में उल्लेखित वस्तु होने के कारण 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, मान्य नहीं है। इस संबंध में अधिनियम के शिड्यूल iv के पार्ट बी की प्रविष्टि संख्या 208 का उल्लेख निम्नानुसार है :-

208 : Dyes & Dyestuffs excluding paints, enamels, cement based water colours, dry distempers, oil based distempers, emulsion paints including acrylic and plastic emulsion paints, lacquers including cellulose lacquers, varnishes, all types of synthetic adhesives, all types of polish, bale oil, whit double boiled linseed oil, thinners, all kind of paint removers and all kinds of wall papers.

अधिनियम के शिड्यूल iv के पार्ट “बी” की प्रविष्टि संख्या 208 के सम्मुख अंकित वस्तु **Dyes & Dyestuffs excluding paints** अर्थात् इसमें पेंट को छोड़कर **Dyes & Dyestuffs** 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है तथा पेंट को अधिनियम के शिड्यूल iv के पार्ट “बी” की प्रविष्टि संख्या 1 से 275 में कहीं पर अधिसूचित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत जो शिड्यूल अधिसूचित है, उनका अवलोकन किया जाकर अपीलार्थी द्वारा विक्रय किया गया पेंट तत्समय अवस्थित शिड्यूल v की क्रम संख्या 1 के सम्मुख उल्लेखित वस्तुओं की श्रेणी में होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अभिनिर्धारित किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर कर का अपवंचन किये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट अंकित किया है कि “व्यवहारी द्वारा जानबूझकर स्वलाभ प्रेरणा से प्रेरित होकर करापवंचन की नियत से कम कर दर से कर राजकोष में जका करा कर करापवंचन का कृत्य किया है एवं धारा 61 में निर्धारित शास्ति को आमंत्रित किया है।” अधिनियम की धारा 61 निम्न प्रकार है :-

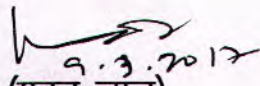
"Penalty for avoidance or evasion of tax :- has concealed any transactions of sale or purchase from his accounts, registers or documents required to be maintained by him under this Act or has avoided or evaded tax in any other manner, the assessing authority any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorized by the Commissioner, may direct that such dealer shall pay by way of penalty, in addition to the tax payable by him under this Act, a sum equal to two times of the amount of tax avoided or evaded."

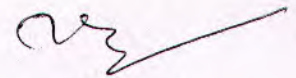
अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह कथन है कि चूंकि समस्त संव्यवहार विवरणियों एवं बहीयात इस प्रकरण में दर्ज है तथा प्रकरण वस्तुओं के निर्वचन से सम्बन्धित है। अतः शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 के आलौच्य में शास्ति आकर्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त न्यायिक व्यवस्था इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है, चूंकि इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर करापवंचन किया गया है एवं सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी ने उचित आधार पर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की है।

दोनों प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा पेंट्स की बिक्री जानबूझकर अपने हितों की पूर्ति हेतु 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तु का 4 प्रतिशत की दर से विक्रय किया गया है, जिससे अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर करापवंचन किया जाना प्रतीत होता है। सशक्त अधिकारी द्वारा उचित आधार पर 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज तथा अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया है, जो उचित प्रतीत होते हैं।

परिणामतः अपीलीय अधिकारी के पारित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से उनको यथावत रखा जाता है तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किये गये।


(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष